भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 132

उत्तर देने की तारीख : 01.12.2025

देश में अल्पसंख्यक भाषाओं की सूची

132. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यक भाषाओं की सूची क्या है तथा प्रत्येक राज्य में इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में अल्पसंख्यक भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्यक्रम है;

(ग) यदि हाँ, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, कार्यक्रम के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है और हर भाषा के लिए कुल कितनी राशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार किसी अल्पसंख्यक भाषा को संविधान में अनुसूचित राजभाषाओं के दर्जे पर ले जाने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : अल्पसंख्यक भाषाओं को भारत के संविधान या कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान है, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त द्वारा अपनाई जाने वाली परिभाषा इस प्रकार हैः

भाषाई अल्पसंख्यक, भारतीय भूक्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह या समष्टि है, जिनकी अपनी एक अलग भाषा या लिपि है। आवश्यक नहीं कि अल्पसंख्यक समूह की भाषा, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित बाईस भाषाओं में से एक हो। दूसरे शब्दों में, राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों का आशय उन लोगों के समूह या समूहों से है जिनकी मातृभाषा राज्य की प्रमुख भाषा से अलग है, तथा जो जिला और तालुका/तहसील स्तरों पर, संबंधित जिले या तालुका/तहसील की प्रमुख भाषा से अलग है।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) की 52वीं रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, व्यापक भाषाई प्रोफाइल उपलब्ध है।
